

(10) शस्त्र लायसेंसो का नवीनीकरण

क्रमांक	शासकीय कार्यालय का नाम	सक्षम अधिकारी का नाम	आवेदन तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज / चाही गई औपचारिकताएं
	कार्यालय कलेक्टर	अनुविभागीय दंडाधिकारी शस्त्र शाखा	1 आवेदन-पत्र पांच रुपये की टिकिट सहित 2 चालान की कापी 3 मूल लायसेंस इसके अतिरिक्त प्रति 3 वर्षों में नवीनीकरण अवाश्यक है विलंब होने पर राशि दुगुनी होगी निम्नालिखित शस्त्रों पर निम्नांकित राशि देय होगी ।

इसके अतिरिक्त प्रति 3 वर्षों में नवीनीकरण अवाश्यक है विलंब होने पर राशि दुगुनी होगी निम्नालिखित शस्त्रों पर निम्नांकित राशि देय होगी ।

- (1)भरमार -25 रुपये
- (2)12 बोरगन -60 रुपये
- (3)रायफल -90 रुपये
- (4)पिस्टल/रिवाल्वर - 150 रुपये